

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

### विकास प्राधिकरण की अम्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

श्री अमित गोयल पुत्र श्री वीरेंद्र गोयल द्वारा भवन संख्या-373 एवं आरातकी संख्या-50, 51/1 गौजा-सुलेम साराय, परगना व तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद पर निर्मित समूह आवास भवन "गुल्लेरिया रेजीडेन्सी" के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवलम्बित अधिकारी श्री गौरी शंकर, सहायक अधिकारी श्री अमरनाथ तथा मुख्य नगर नियोजक श्री स्वराज गांगुली द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। C.F.O. इलाहाबाद, राहाड निदेशक, विद्युत सुरक्षा (इलाहाबाद), अविभाजित, मूजुजाविखंड-यां इलाहाबाद तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उक्त नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मुख्य अग्नि शान अधिकारी की अनापत्ति पत्र दिनांक 06 मार्च, 2013 में अंकित प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक होगा।

#### अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. C.F.O. इलाहाबाद की अनापत्ति  
दिनांक 06.03.2013
2. उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा (इलाहाबाद)  
पत्रांक 822/उनि/विखंड दि 12.03.2013
3. अविभाजित, मूजुजाविखंड-यां  
पत्रांक-842/मूजुजाविखंड-यां दि 23.2.2013
4. आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर  
का प्रमाण-पत्र।

पत्रांक :- 15/प्र0310-भवन/C.C/2012-13

हस्ताक्षर .....

पदनाम ...**गुडाकिश शर्मा**...  
**प्रधान अधिकारी (भवन)**  
कार्यालय की मुहर .....

दिनांक 19-03-2013

दिनांक : 19/03/2013